audits, workers' participation in safety management, tripartite/bipartite reviews as various levels, training and re-training of work persons, observance of safety weeks and safety compaigns and national safety awards.

Statement

Details of action taken in respect of punishment awarded in all fatal accidents in Central Coalfields Limited during the last five years and in 1997 (upto October. 1997)

Year	Class of Employee	Punishment awarded					
		Censure/ Warning	Suspension as punish- ment	With- holding increment	With- holding promotion	De- motion	Removal/ dismissal
1992	Executive	18	____	____	_____	—	—
	Non-Executive	14	7	3	—	—	4
1993	Executive	4	—	1	_	_	—
	Non-Executive	4	4	—		—	1
1994	Executive	25	—	1	—	—	-,-
	Non-Executive	8	13	—	1	1	1
1995	Executive	15	—	—	—	—	—
	Non-Executive	7	22	1		—	2
1996	Executive	22	1*	—	—	—	—.
	Non-Executive	3	18	1	—	—	3
1997	Executive	13	5*	9 cases under proceedings	different stages of disciplinary		
	Non-Executive		15	3 cases under proceedings.	different stages of disciplinary		

*Suspension pending enquiry

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा सप्लाई किया गया घटिया किस्म का कोयला

481. **श्री संजय निरूपम**: क्या कोलया मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने बिहार की विद्युत परियोजनाओं के लिए निम्न स्तरीय कोयले को आपुर्ति की; यदी हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस बेईमानी के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के विरुद्ध की कार्रवाई की गई?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के मुग्मा सालनपूर क्षेत्र से दीनांक 28.7.1997 को प्रोषित उस रेक के कोयला की निम्न गुणवत्ता के बारे में शिकायत की है, जो दिनांक 1.8.1997 को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के मुजफ्फरपूर तापीय विद्युत गृह में पहुंचा था।

कोयले की गुणवत्ता संबंधी विवाद का निफ्टारा करने हेतु यह निर्णय लिया कि रेक से कोयले के नमुने लिए जाने चाहिए तथा केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में इनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। जांच परिणाम से इस बात की पुष्टि हो गई कि कोयला निम्न गुणवत्ता का था। इस नष्कर्ष के परिणामस्वरूप, ई.को.लि. प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि वे मुजफ्फरपूर ता.वि. गृह यार्ड से रेक वापस मंगवाएं तथा इस रेक से संबंधित रेलवे को देय सभी विलंव शुल्क तथा अन्य लागत/शुल्क का पुर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करें। ई.को.लि./ को.ई.लि. के प्रबंधन को कोयला कंपनी के नियमों के अनुसरा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का सुझाव दिया गया है। सालनपूर क्षेत्र के महाप्रबंधक, बोजेमेहारी एजेंट. सिइडिंग के प्रभारी तथा सालनपूर क्षेत्र के क्षेत्रीय बिक्री आधिकारी को निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोयला नियंत्रक के कार्यालय से भी संबद्ध अधिकारियों के विरूद्ध इसी प्रकार की कार्रवाई किए जाने का एनुरोध किया गया है।